हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174
(A Central University)

दूरभाष (01346)-252143,252167,252170
फैक्स (01346)-252174,252247
वेबसाइट–Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक :– मान्यता/ 8085

दिनांक 07-12-2017

सेवा में,

आचार्य / निदेशक / सचिव
श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन
साइन्स एवं टैक्नोलोजी ग्राम मझौन वाया पौंधा प्रेमनगर,
देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनाक 06.09.2017 और संस्थान प्रबन्धन द्वारा समिति को दिये गये 31 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलाजी, ग्राम मझौन, वाया पौंधा प्रेमनगर, देहरादून को अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार बी0एड0 पाठ्यकम मे 100 सीट एवं एम0एड0 पाठ्यकम में 50 सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए अस्थाई सम्बद्वता विस्तारण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि–शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के फार्म–16 तीन माह के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा करने होगें।

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होगें:–

1. एन0सी0टी0ई0 / यू0जी0सी0 / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 के छात्रो को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
3. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्वता के लिए निर्धारित परिसर मे किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यकम संचालित नहीं किये जायेगे तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नही करेगा।
5. कुलपति महोदय एवं स्टेटयूटरी बाडी द्वारा जारी आदेश / निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के फार्म–16 देने होंगे।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:–

1. एक माह के अर्न्तगत फैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटो पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपि:– 1. उपकुलसचिव परीक्षा।
2. प्रति कुलपति, कुलपति महादय के सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता